न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 16 / 2026	2026 / 64	09.04.2025	23.04.2026

1– किशोरीलाल पुत्र प्रभातीराम निवासी ग्राम जटियाना तहसील हरसौली जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– सहायक वन संरक्षक अलवर।

2– सरकार जर्ये क्षेत्रीय वन अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्व आज्ञा सहायक वन संरक्षक अवलर किस्म 91 एल.आर. एक्ट मुकदमा संख्या 01 / 2025 निर्णय दिनाक 14.05.2025

उपस्थित–

01. श्री सुमेर सिंह ओला, अनिल चौधरी एड0 — वकील अपीलान्ट उपस्थित
02. विभागीय प्रतिनिधी — रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील सहायक वन संरक्षक अलवर किस्म 91 एल. आर. एक्ट मुकदमा संख्या 1 / 2025 निर्णय दिनांक 14.05.2025 जिसके द्वारा आराजी खसरा 222 रकबा 0.15 है0 किस्म गै0मु0 पहाड / रक्षित वन भूमि पर पक्का मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी के विरूद्व मौके से बैदखली / पैलन्टी से दण्डित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुऐ निवेदन किया है कि तहत अदालत क्षेत्रीय वन अधिकारी किशनगढबास के द्वारा गलत तथ्य अंकित करते हुऐ धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुऐ सहायक वन संरक्षक अलवर के समक्ष प्रकरण पेश किया गया है, आराजी खसरा न0 222 वर्ष 1955 से ही सिवायचक व गैरमुमकिन पहाड में आज तक रिकार्ड दर्ज है, यह भूमि कभी वन विभाग की थी ही नही तभी से अपीलान्ट के पूर्वज मकान बनाकर निवास कर रहे है। अपीलान्ट का मकान आबादी में स्थित है, जो पहाड से लगते हुऐ है। तहत अदालत के द्वारा गलत तथ्यो पर धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुऐ अपीलान्ट के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 20.11.2025 हुयी है, जानकारी प्राप्त होने पर नकल हेतु आवेदन किया गया जिस पर नकल प्राप्त की जाकर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है। अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकर फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्रं दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनाक 24.11.2025 को पेश की गयी है, जो करीब 6 माह पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है, हम अपील का विधिवत निस्तारण केवल दफा 5 को आधार मानकर निस्तारण किया जाना उचित नही समझते है, बल्कि अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 20.11.2025 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दु नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तहत अदालत/पत्रावली में संलग्न रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 222 रकबा 0.15 है0 जमाबंदी सम्तत 2073–2076 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरमुममिन पहाड रक्षित वन भूमि (वन विभाग) दर्ज रिकार्ड है, जो भारत सरकार के परिपत्र 07.05.1992 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमियो की श्रेणी में आती है, ऐसी भूमियो पर किसी को भी अतिक्रमण कर मकान बनाने का अधिकार नही है, तहत अदालत द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय न्यायोचित है, अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत सहायक वन संरक्षक अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 1/2025 उनवान सरकार जर्ये क्षेत्रीय वन अधिकारी किशनगढबास बनाम किशोरीलाल में पारित निर्णय दिनाक 14.05.2025 यथावत रखा जाता है। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा